फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

रामुराम
बनाम
ईशराराम वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. ८) सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.08.2021	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई एवं केवियटर अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी एवं श्री देवाराम चौधरी उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 36/2021 बअनवान रामुराम बनाम ईशराराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 27.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 148/3 ग्राम अणदाणियों की ढाणी में आया हुआ है। रेस्पोडेंट ने अपीलांट की खातेदारी के खेत में करीबन 40 फीट भूमि पर जबरदस्ती काश्त कर ली है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि के सुस्थिापित सिद्धांतों के विपरित होने विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट द्वारा काश्त करने में दखल पैदा की जा रही है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आराजी के मौके की रिपोर्ट अपीलांट के खर्चे पर मंगवाई जाती है तो अपीलांट को कोई आपति नहीं है। यदि मौका रिपोर्ट तहसीदार स्वयं की उपस्थिति में बनाई जाती है तथा अपीलांट के कथने झूठे साबित होते है तो अपीलांट अपील अपीलांट वापस लेने की अण्डरटैकिंग लेता है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। केवियटर अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मौके की मौका रिपोर्ट मंगवाने के बाद मौका रिपोर्ट का गहन अध्यन मनन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत है। अपीलांट प्रकरण को येन–केन प्रकारेण चुनौति देने की मंशा रखते है तथा अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों एवं सदभावना के साथ नहीं आया है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र मय अपील को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। केवियटर अधिवक्ता ने अपने	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2003 Page 144

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने एवं न्यायिक दृष्टांत का गहनता से अध्ययन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई तथा मौका रिपोर्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हितों पर कुठाराघात संभाव्य नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार के स्थगन के आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की अपील को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजालाश सुनाया गया। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ भेजी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर